दिनांक 04.08.2022
प्रेस विज्ञप्ति 04/2022

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद गाजियाबाद/थाना इन्दिरापुरम

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के नगद रूपये**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 04.08.2022 को थाना इन्दिरापुरम व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रैड लाइट के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त अजय उर्फ लालू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूट के नगद रूपये, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त जनपद गाजियाबाद से वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना इन्दिरापुरम पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अजय उर्फ लालू निवासी न्यू पंचवटी कालोनी थाना कोतवाली जनपद गाजियाबाद।

बरामदगी

1–लूट के नगद रूपये।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस।

जनपद अयोध्या/थाना महराजगंज

- **20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 04.08.2022 को थाना महराजगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बनगवां नहर पुलिया के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त कुबेर उर्फ अभ्युदय सिंह उर्फ दादा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद अयोध्या के थाना महराजगंज पर लूट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त थाना महराजगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0—251/2022 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना महराजगंज पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—कुबेर उर्फ अभ्युदय सिंह उर्फ दादा निवासी पूराबाजार थाना महराजगंज जनपद अयोध्या।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस।

जनपद रायबरेली/थाना कोतवाली नगर

- **06 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 3.5 करोड़ कीमत की चोरी के 31 चार पहिया वाहन**
- **1373 चिप लगे हुये स्मार्ट कार्ड**
- **31 वाहनों की चाभियां**
- **06 स्मार्ट आरसी कार्ड**
- **01 प्रिन्टर, 01 लैपटॉप आदि बरामद**

दिनांक 03.08.2022 को थाना कोतवाली नगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गोरा बाजार से 06 अभियुक्तों 1—संतोष कुमार 2—प्रिंस 3—राजीव कुमार उर्फ ओम 4—अब्बास 5—नूरूल अंसार 6—कमालू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 3.5 करोड़ कीमत की चोरी के 31 चार पहिया वाहन, 1373 चिप लगे हुये स्मार्ट कार्ड, 450 स्मार्ट कार्ड, 31 वाहनों की चाभियां, 06 स्मार्ट आरसी कार्ड, 01 प्रिन्टर, 01 लैपटॉप आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो भिन्न—भिन्न स्थानों से अपने साथियों के साथ मिलकर वाहनों की रैकी से चाभी क्लोन कर वाहनों की चोरी कर वाहनों का नम्बर व चेचिंस नम्बर बदलकर धोखाधड़ी कर फर्जी कागजात तैयार कर ग्राहको को सस्ते दामों में बेच देते थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद चार पहिया वाहन चोरी की कई घटनाओं से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—संतोष कुमार निवासी मऊरइया थाना नगर जनपद बस्ती।

2—प्रिंस निवासी ग्राम चौवा बेगमपुर थाना महोली जनपद सीतापुर हालपता—सेक्टर—जी जानकीपुरम थाना गुडम्बा, लखनऊ।

3—राजीव कुमार उर्फ ओम निवासी धरमापुर थाना बेहटा गोकुल जनपद हरदोई।

4—अब्बास निवासी भदांह चौराहा थाना खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

5—नूरूल अंसार निवासी ग्राम गन्डारा थाना कैसरगंज जनपद बहराइच।

6—कमालू निवासी जद्दू पट्टी थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर।

<u>बरामदगी</u>

1—लगभग 3.5 करोड़ कीमत की चोरी के 31 चार पहिया वाहन।

2—1373 चिप लगे हुये स्मार्ट कार्ड।

3—450 स्मार्ट कार्ड।

4—31 वाहनों की चाभियां।

5— 06 स्मार्ट आरसी कार्ड।

6—01 प्रिन्टर।

7— 01 लैपटॉप आदि।

<u>जनपद उन्नाव/थाना सफीपुर</u>

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 14 लाख रूपये कीमत के लूट के सोने—चाँदी के आभूषण**
- **लूट के 16 हजार रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर आदि बरामद**

दिनांक 03.08.2022 को थाना सफीपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अभियुक्त सलौनी उर्फ संदीप को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 14 लाख रूपये कीमत के लूट के सोने—चाँदी के आभूषण, लूट के 16 हजार रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 29/30.07.2022 की रात्रि थाना सफीपुर क्षेत्रान्तर्गत हत्या सहित लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सफीपुर पर मु0अ0सं0 326/2022 धारा 302/394 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद आभूषण, रूपया आदि उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना सफीपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—सलौनी उर्फ संदीप निवासी शिवनगर थाना नरौली जनपद मथुरा।

<u>बरामदगी</u>

1—लगभग 14 लाख रूपये कीमत के लूट के सोने—चाँदी के आभूषण।

2—लूट के 16 हजार रूपये नगद।

3—01 अवैध तमंचा 315 बोर आदि।

जनपद अमरोहा/थाना नौगावां सादात

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 50 हजार रूपये नगद**
- **लूट का मोबाइल फोन**
- **03 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 03 जीवित कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 04.08.2022 को थाना नौगावां सादात पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जाजरू नहर के पास चेकिंग के दौरान 03 अभियुक्तों 1—रोहित 2— शिवकुमार उर्फ

मिथुन 3–रोहित को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 50 हजार रूपये नगद, लूट का मोबाइल फोन, 03 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 03 जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 03.08.2022 को थाना नौगावां सादात क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना नौगावां सादात पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, मोबाइल फोन उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना नौगावां सादात पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रोहित निवासी फौलादपुर थाना मंडी धनौरा जनपद अमरोहा।

2–शिवकुमार उर्फ मिथुन निवासी पीलाकुण्ड थाना नौगावां सादात जनपद अमरोहा।

3–रोहित निवासी पीलाकुण्ड थाना नौगावां सादात जनपद अमरोहा।

बरामदगी

1–लूट के 50 हजार रूपये नगद।

2–लूट का मोबाइल फोन।

3–03 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 03 जीवित कारतूस।

4–घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल।

जनपद कुशीनगर/थाना हाटा

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट का 01 अर्टिगा कार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 04.08.2022 को थाना हाटा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर देवरिया मोड के पास से 02 अभियुक्तों 1–आदर्श 2–विपिन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट का 01 अर्टिगा कार, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना हाटा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा कार लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना हाटा पर मु0अ0सं0–379/2022 धारा 392/411/120बी भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद अर्टिगा कार उक्त लूट की घटनाओं से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना हाटा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–आदर्श निवासी हरदिया पिछौरा थाना गीडा जनपद गोरखपुर।

2–विपिन निवासी दौनाडीह थाना बडहलगंज जनपद गोरखपुर।

बरामदगी

1–लूट का 01 अर्टिगा कार।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस।

जनपद उन्नाव/थाना आसीवन

- **02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की सोने–चॉदी के आभूषण**
- **5000/–रूपये नगद**
- **भारी मात्रा में चोरी के सामान**
- **01 अवैध अद्धी बन्दूक 12 बोर, 02 जीवित कारतूस**
- **01 अवैध तमंचा 12 बोर, 02 कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 03.08.2022 को थाना आसीवन पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भेड़हाखेड़ा मोड़ की पुलिया पर चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों 1–सोनू 2–समीर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की सोने–चॉदी के आभूषण, 5000/–रूपये नगद, भारी मात्रा में चोरी के सामान, 01 अवैध अद्धी बन्दूक 12 बोर, 02 जीवित कारतूस, 01 अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि दिनॉकः 03.08.2022 को थाना आसीवन क्षेत्रार्न्तगत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना आसीवन पर मु0अ0सं0–176/2022 धारा 457/380 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद सोने–चाँदी के आभूषण, आदि उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना आसीवन पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सोनू निवासी बारीथाना थाना आसीवन जनपद उन्नाव।

2–समीर निवासी बारीथाना थाना आसीवन जनपद उन्नाव।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी की सोने–चॉदी के आभूषण।

2–5000/–रूपये नगद।

3– भारी मात्रा में चोरी के सामान।

4–01 अवैध अद्धी बन्दूक 12 बोर, 02 जीवित कारतूस।

5–01 अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस आदि।

- **<u>जनपद एटा/थाना जैथरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 14 वर्ष के सश्रम कठोर कारावास की सजा व 01 लाख 30 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद एटा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/पॉक्सो एक्ट जनपद एटा द्वारा थाना जैथरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/363/366 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त दीपू उर्फ कुलदीप को 14 वर्ष के सश्रम कठोर कारावास व 01 लाख 30 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बलिया/थाना कोतवाली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 35–35 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बलिया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0 प्रथम बलिया द्वारा थाना कोतवाली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/498ए भादवि व 4 डी0पी0 एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–राजनरायण 2–कमली देवी को आजीवन कारावास व 35–35 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————